



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल-263001 (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND)

Research & Development Cell(RDC)

Office: 05942-235213, Fax: 05942 -235213, E-mail: sriccku@gmail.com

पत्रांक केयू/आर0डी0सी0 / 2023 / 271

दिनांक 10-4-2023

सेवा में,

- 1- परिसर निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।
- 2- संकायाध्यक्ष, कला, विज्ञान/वाणिज्य/प्रबन्धन/भेषज/कृषि/बायो साइंस संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।
- 3 समस्त विभागाध्यक्ष, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।
- 4- प्राचार्य, (संबद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल)

राजकीय स्नात0 महाविद्यालय

विषय : विश्वविद्यालय के आर0डी0सी0 अनुभाग में शोध सम्बन्धी लिये गये (शोध सलाहकार समित एवं कार्य परिषद अनुमोदित) निर्णय।

महोदय,

विश्वविद्यालय के आर0डी0सी0 अनुभाग में शोध सम्बन्धी लिये गये (शोध सलाहकार समित एवं कार्य परिषद दिनांक 10.02.2023) में लिये गये निम्नलिखित निर्णय को आर0डी0सी0 अनुभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा लागू किया जा रहा है।

क्रम सं0	मद	आर0डी0सी0 अनुभाग के अनुमोदित प्रस्ताव
1	मद सं0 3	प्री0 पी0 एच-डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र (1,2,3) में शोधार्थियों की पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी
2	मद सं0 4	प्री0 पी0 एच-डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा द्वितीय के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि Recent Advance in Subject रहेगा तथा विकल्प उपलब्ध नहीं रहेंगे।
3	मद सं0 5	वर्ष 2022 से शोध कार्य हेतु 62 वर्ष की आयु पार कर चुके प्राध्यापकों को शोधार्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे। यू0जीसी0 के नियम 7 नवम्बर, 2022 के तहत इसे लागू किया जा रहा है। इसका अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संयोजक का होगा तथा इसका निगरानी शोध एवं विकास प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी।
4	मद सं0 6	पी0 एच-डी0 की मौखिकी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदर्शों (04 मई, 2022) के अनुपालन में ऑनलाईन/आफ लाईन ही सम्पादित की जायेगी। डी0लिट0 एवं डीएस0 सी0 मौखिकी ऑफ लाईन सम्पादित की जायेगी।

5	मद सं० 15	शोधार्थी के शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु शोध निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 01 माह के भीतर पेनल प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में मा० कुलपति जी द्वारा परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे पेनल न देने की स्थिति में शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष को अगले सत्र में नये शोध अभ्यर्थी का आवंटन नहीं किया जायेगा। साथ ही बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन आख्या समय सीमा पर न दिये जाने की स्थिति में उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिबंधित किया जायेगा।
6	मद सं० 16	एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात् कुमाऊँ विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी के शोध निर्देशक जो कि एस० एस० जे० विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के अधिकारिता क्षेत्र में स्थित परिसर/ महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत हैं उनके शोधार्थियों को यदि स्थानान्तरण आवश्यक है उन्हें कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के शोध निर्देशक के साथ ही आवंटित किया जायेगा।
7	मद सं० 17	विगत वर्ष की भौति शोधार्थियों को सम्मानित किया जायेगा। (क) प्रो० डी० डी० पन्त सम्मान स्मृति-पेटेन्ट प्राप्त शोधार्थियों को (ख) प्रो० के० एस० वाल्दिया सम्मान स्मृति-शोध पत्रिकाओं में 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact Factor) प्राप्त शोधार्थियों को (ग) प्रो० डी० एन० अग्रवालसम्मानस्मृति- यू-ट्यूबप्लेटफार्म में शिक्षण कार्य से सम्बन्धित चैनल में 01 हजार से अधिक सब्सक्राइबर प्राप्त प्राध्यापकों को (घ) प्रो० वार्ड० पी० एस० पांगती सम्मान स्मृति-जिन प्राध्यापकों/शोधार्थियों की पुस्तक प्रकाशित हुई हो, यह सम्मान वर्ष 2022 हेतु तथा भविष्य में भी उपरोक्त सम्मान प्रदान वाषिक आधार पर देय होंगे जिसमें एक प्रमाणपत्र एवं शॉल भेंट किया जायेगा। इस वर्ष 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि हेतु शोधार्थियों को सम्मानित किया जायेगा तथा यह प्रक्रिया भविष्य में भी रहेगी।
8	मद सं० 18	शोध प्रबन्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा किये जाने के पश्चात् मौखिकी परीक्षा न्यूनतम 45 दिवसों के पश्चात् ही कराई जायेगी।
9	मद सं० 21	मौखिकी परीक्षा (Ph. D./D. Litt./D.Sc.) हेतु एक माह से अधिक समय हो जाने पर शोधार्थी के आवेदन पर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अथवा माननीय कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य द्वारा मौखिकी परीक्षा शीघ्र पूर्ण करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के उक्त मौखिकी परीक्षा के दिन अवकाश पर होन पर कार्यवाहक विभागाध्यक्ष द्वारा मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायें।
10	मद सं० 22	पी.एच.डी. R.D.E.T प्रवेश परीक्षा में आरक्षण उत्तराखंड राज्य के आरक्षण नियमों के (RDET) अनुसार देय होगा। शोध प्रवेश परीक्षा में आरक्षण विषयवार उपलब्ध सीट पर लगाया जायेगा। परंतु शोध प्रवेश को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। साथ ही ऊर्ध्व आरक्षित पदों के सामान्य श्रेणी में विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है अतः अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में इन सभी वर्गों हेतु आरक्षित की सीटों को रिक्त छोड़ दिया जायेगा और किसी सीट को किसी भी दशा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से नहीं भरा जायेगा। हाँलाकि शोध सलाहकार समिति यह व्यवस्था करती है कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर क्षैतिज आरक्षण की रिक्त सीटों को संगतश्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है।

11	मद सं0 23	शोध प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग एक बार में ही सम्पन्न होगी तथा पहली काउन्सिलिंग में रिक्त सीटों पर ही द्वितीय काउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी। एक प्रवेश परीक्षा में दो बार रिक्त सीटें नहीं मांगी जायेगी। रिक्त सीटों की संख्या पोर्टल के माध्यम से मांगी जायेगी तथा आवंटित शोधार्थी को ना लेने पर प्राध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी तथा उन्हें शोध छात्र आवंटन से तीन वर्षों हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। RDET परीक्षा की निरन्तरता हेतु एक काउन्सिलिंग में अधिकतम 02 शोधार्थी ही एक प्राध्यापक को आवंटित होंगे।
12	मद सं0 24	जो शोधार्थी अपने शोध निर्देशक से एन0 ओ0 सी0 चाहते हैं किन्तु शोध निर्देशक ऐसा शोध निर्देशक बदला जायेगा। करने से मना कर रहे हैं तो उन्हें विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के आदेश पर यह एन0 ओ0 सी0 दिया जायेगा। यदि शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष भी हैं तो संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा।
13	मद सं0 25	केवल 2014 के महिला शोधार्थी तथा 2016 के पुरुष शोधार्थी ही अपने शोध कार्य सीमा विस्तारण हेतु इस वर्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित करें।
14	मद सं0 26	२६. पी.एच.डी. प्रवेश में जे.आर.एफ., इंस्पयर फेलो को अलग से कोई वरीयता नहीं दी जायेगी। पिछली वर्ष की भाँति उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जा सकती है परंतु अन्य परीक्षार्थियों के समकक्ष लाने हेतु इन अभ्यर्थियों को पिछली पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के नियम लगाये जायेंगे।
15	मद सं0 27	शोध प्रबन्ध जमा करने पर दो शोध पत्र प्रकाशित होने अनिवार्य है जिनका ISSN नम्बर होना जरूरी है वर्ष 2021 में प्रवेशित शोधार्थियों को अपने दो पेपर UGC Care List/Scopus/ Web of Science में होना जरूरी है।
16	मद सं0 28	यू0जी0सी0 नियमानुसार कोविड में समय सीमा का विस्तारण की छूट चाहते हैं का अनुमोदन किया गया।
17	मद सं0 29	प्री पी0 एच-डी0 कोर्स वर्क में प्रत्येक संकाय में प्रथम प्रश्न पत्र के अन्तर्गत Ethics पर Research अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायेगा।
18	मद सं0 30	पी0 एच-डी0/डी0 लिट/डी0 एस-सी0 के शोधार्थी विश्वविद्यालय के परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश अनिवार्य रूप से लेंगे। डी0 लिट/डी0 एस-सी0 हेतु केवल कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश लेना होगा। इस सभी शोधार्थियों को चूंकि आर्डिनेन्स के मुताबिक 200 दिन की उपस्थिति पंजीकरण से देनी होती है, इस उपस्थिति हेतु शोधार्थी को विभाग की पंजीका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा पंजीका की छायाप्रति शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निर्देशक अथवा प्राचार्य से अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर अलग से जमा करेंगे। एम0 ओ0 यू0 के सम्बद्ध महाविद्यालय के शोधार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान से यह प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे। यह अनिवार्य विषय होगा।

19	मद सं0 31	शोधार्थी अपना पेपर प्रकाशन से पूर्व Plagiarism प्रमाण पत्र (प्लेजेरिज्म रिपोर्ट) आवश्यक रूप से प्राप्त करे तथा इस सन्दर्भ में यू0 जी0 सी0 के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से होगा। शोध रूपरेखा भी जमा करने से पूर्व प्लेजेरिज्म रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होगा।
20	मद सं0 32	पी0 -एचडी0/डी0 लिट0/डी0 एस-सी0 के शोध प्रबन्ध की रिपोर्ट सकारात्मक आने तथा मौखिकी-परीक्षा की नकारात्मक रिपोर्ट आने पर समिति गठितकर जाँच करायी जायेगी तथा विशेषज्ञों का मानदेय, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता जाँच पूरी होने तक नहीं दिया जायेगा। शोध अध्यादेश के मुताबिक शोधार्थी के प्रत्यावेदन तथा शुल्क जमाकर 06 माह बाद दोबारा दूसरे पैनल विशेषज्ञों से मौखिकी परीक्षा करायी जायेगी।
21	मद सं0 33	शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया गया है और शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है।
22	मद सं0 34	शोध छात्र गिरीश चन्द्र, मौक्तिकी द्वारा अर्नगल पत्र प्रेषित किये जा रहा है। अतः उनकी समस्त फाईलें बन्द की जाती हैं।
	मद सं0 35	एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण हेतु भीमताल/ टी. एस. बी./ वि. वि. में भूमि/ स्थान हेतु चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही, उक्त प्रयोगशाला के निर्माण हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
	मद सं0 36	इन्फ्रास्ट्रक्चरवृद्धि हेतु डी0 एस0 बी0 के कक्ष सं0 18 तथा विश्वविद्यालय के 02 कक्षों को सूचना तकनीक से सुशोभित किया जायेगा।

23	मद सं0 38	एस0 आर0 आई0 सी0 सी0 का नाम यू0 जी0 सी0 के पत्रानुसार शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell) किया गया।
24	मद सं0 39	यू0 जी0 सी0 नियमानुसार कॉविड छूट में शोध जमाकरने की छूट दिनांक 31.12.2022 करने सम्बन्धी पत्र का अनुमोदन हुआ।

25	मद सं0 40	<p>Ph. D. Pre-Submission हेतु विभागाध्यक्ष निम्नांकित पत्रजात (Document) प्राप्त होने पर प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पी0 एच-डी0 प्रवेशहेतु Admit Card, Fee Slip, 06 माहकोर्स की अंकतालिका। 2. आर0 डी0 सी0 पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधित है तत्कालीन विभागाध्यक्ष की रूपरेखा पर संस्तुति (Revised Synopsis Approved)। 3. दो प्रकाशित शोध पत्र। 4. दो सेमीनार में अपने शोध का प्रस्तुतिकरण। प्रमाणपत्र। 5. प्लेजेरिज्म प्रमाण पत्र (10 प्रतिशत से कम) 6. 02 विभागीय Annual Review प्रमाणपत्र। 7. उपस्थिति प्रमाण पत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बाद पूर्ण की है तथा इस हेतु विभाग कीपंजिका की छायाप्रति जिसे विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है। एम0 ओ0 यू0 संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे। 8. शोध प्रबन्ध की स्पाई रल कॉपी <p>डी0 लिट/डी0 एस-सी0 हेतु Pre-submission के लिये आवश्यक पत्रजात-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शोध प्रबन्ध की स्पाई रल कॉपी, डी0 एस-सी0, /डी0 लिट0 हेतु आवश्यक पत्रजात। 2. प्रवेश हेतु एडमिट कार्ड/फीस स्लिप।
----	-----------	---

		<p>3. आर० डी० सी० पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधित है तो तत्कालीन विभागाध्यक्ष की रूपरेखा या संस्तुति (Revised Synopsis Approved)।</p> <p>4. तीन प्रकाशित शोध पत्र।</p> <p>5. प्लेजरिज्म प्रमाणपत्र (10 प्रतिशत से कम)</p> <p>6. उपस्थिति प्रमाणपत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बादपूर्ण की है तथा इस हेतु सम्बन्धित विभाग की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति जिस में विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। एम० ओ० यू० संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे।</p>
26	मद सं० 41	शोधार्थी के समस्त दस्तावेज डिजिटल ईज किये जायेंगे।
	मद सं० 43	वर्ष 2022 में प्रबंध अध्ययन में प्रवेशित 05 शोधार्थियों के मन्त्र में निर्णय लिया गया कि: 04 विद्यार्थी प्रो. प्रदीप जोशी को एवं 01 विद्यार्थी डा. एन.के. मिश्र अथवा प्रो. अमित जोशी को आबंटित किया जायेगा।
27	मद सं० 44	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं वन अनुसन्धान केन्द्र, हल्द्वानी के मध्य हुए एम.ओ. यू. का अनुमोदन किया जायेगा।

कृपया उक्त लिये गये निर्णय को अपने /परिसर / महाविद्यालय में अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि सम्बन्धित शोध निर्देशक एवं शोधार्थियों को सूचना से अवगत हो सकें तथा ये सभी निर्णय आज की दिनांक 10.04.2023 से लागू माने जायेंगे।


Director

भवदीय

कुलसचि

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल